समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2016

निग - 3151 - I/16

पुनरीक्षणकर्ता.................... राजू दांगी उर्फ राजेन्द्र दांगी पुत्र श्री रामजीशरण दांगी, आयु– 30 वर्ष, निवासी– ग्राम दबरावार तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

श्री अमित रावत अभि. द्वारा आज दि. 16-9-16 को प्रस्तुत

16-9-16

बनाम

अनावेदक........................ म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2016 जो कि श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/15-16 में पारित आदेश के विरूद्ध।

— 2

अमित रावत (एड.)
16/09/2016

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1. **संक्षिप्त तथ्य**

1.1 यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार तहसील दतिया द्वारा दिनांक 28.05.2016 को उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता को एक स्थगन आदेश दिनांक 28.05.2016 को इस आशय का दिया गया कि ग्राम दबरावार के शासकीय क्रमांक 191 रकवा 0.13 हेक्टेयर जिसकी नोइयत खाद के गड्डे के रूप में दर्ज है, की भूमि पर 15X18 फीट में अवैध निर्माण किया जा रहा है, उक्त निर्माण पर स्थगन आदेश जारी किया गया तथा आप निर्माण कार्य तत्काल बंद कर दें, बंद न करने की दशा में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(4)

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग-3151- एक- 16- जिला- दतिया

राजू दांगी विरूद्ध म0प्र0शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमित रावत उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। 2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने तर्क में वहीं तथ्य प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु निगरानी मेमो में उठाए गये बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है। 3- निगरानी मेमो में उठाए गये तथ्यों एवं प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.5.16 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के संबंध में स्थगन आदेश दिया जाकर दिनांक 3.6.16 को उपस्थित होने के आदेश दिए गये हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है जिससे किसी के हित प्रभावित होने की कोई सम्भावना हो। वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दा.रि.हो। (डॉ0एम0के0अग्रवाल) सदस्य	